न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 25/प्रा.पत्र/2020	19.02.2020	08.01.2025
(GCMS No. 2020/00027)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

गोपाल पुत्र धूल्या जाति बैरवा, निवासी ग्राम कुवांरती, तहसील बून्दी मृतक जर्ये कायम मुकाम :–

1. धर्मराज पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कुवांरती
2. हनुमान पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कुवांरती
3. प्रविन्ता पुत्री गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कुवांरती
   तहसील बून्दी एवं जिला बून्दी (राज0)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी गोपाल पुत्र धूल्या कौम चमार निवासी ग्राम कुवांरती को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 671 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा वाकेग्राम कुवांरती आवंटन आदेश दिनांक 23.05.1981 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 25/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2020/00027 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 25.11.2024 को अप्रार्थी हनुमान स्वयं उपस्थित न्यायालय आया तथा अप्रार्थी धर्मराज व प्रवीन्ता की ओर से उपस्थित वकील श्री महादेव द्वारा आगामी पेशी पर वकालतनामा पेश करने हेतु अंडरटेकिंग दी गई, किन्तु बावजूद सूचना अप्रार्थीगण या उनके अभिभाषक के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तक्र प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि गोपाल पुत्र धूल्या कौम चमार निवासी ग्राम कुवांरती को दिनांक 23.05.1981 को भूमि खसरा सं. 671 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा वाकेग्राम कुवांरती का आवंटन किया गया था। तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम,1970 के तहत यहां भिजवाया गया है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित प्रपत्र में बिन्दू संख्या 4 "आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है" अंकित है। प्रकरण के संलग्न हल्का पटवारी दौलाडा की रिपोर्ट में भी उक्त तथ्य अंकित है। दिनांक 25.11.2024 को अप्रार्थी सं. 2 स्वयं एवं अप्रार्थी सं. 1 व 3 जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित हो चुके है किन्तु उनकी ओर से न तो कोई आपत्ति/जवाब दिया गया और न ही आगे इस कार्यवाही में भाग लिया गया। ऐसे में आवंटी के वारिसान की उक्त आवंटन में कोई रूचि नहीं होना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। जिससे कृषि प्रयोजनार्थ किये गये उक्त आवंटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी गोपाल पुत्र धूल्या कौम चमार निवासी ग्राम कुवांरती को दिनांक 23.05.1981 को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 671 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा (हाल रकबा 0.1692 हैक्टेयर) वाकेग्राम कुवांरती निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बून्दी उक्त आराजी को अविलम्ब नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर **सिवायचक** दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय मोदास)
जिला कलक्टर बून्दी